

# अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश

शालीमार टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक एक-दो-136-NPS-OPS-2024/4048 /2024 दिनांक 05 सितम्बर, 2024  
सेवा में,

- 1- सुश्री दीपा राय, स्पे0जज एस0सी0एस0टी0 एक्ट, गोरखपुर।
- 2- श्री योगेन्द्र चौहान, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद।
- 3- श्री पंकज जायसवाल, निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 4- सुश्री श्रद्धा त्रिपाठी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर।
- 5- श्री सुशील कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
- 6- श्री राधे मोहन श्रीवास्तव, विशेष सचिव, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 7- श्री फूल.चन्द्र कुशवाहा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महाराजगंज।
- 8- श्री सुभाष चन्द्र मौर्य, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवरिया।


द्वारा— संयुक्त निदेशक अभियोजन, गोरखपुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, कानपुर नगर,  
मथुरा, महाराजगंज, देवरिया के माध्यम से।


महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024, दिनांक 28.08.2024 एवं पत्रांक 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024, दिनांक 11.07.2024 के अनुपालन में आप द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में विकल्प प्रेषित किये गये हैं। प्राप्त विकल्पों का समिति द्वारा परीक्षण किये जाने पर, विकल्पों में सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति नहीं पायी गयी है।

अतः अनुरोध है कि आप निर्धारित विकल्प पत्र पर विवरण भरकर, सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति कराते हुए, विकल्प पत्र 03 दिवस में अभियोजन निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

  
05/09/2024

  
(चन्द्र शेखर त्रिपाठी),  
अपर निदेशक अभियोजन,  
लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ।

प्रतिलिपि—

- 1- अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन, अभियोजन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को सादर प्रेषित।
- 2- संयुक्त निदेशक अभियोजन, गोरखपुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, कानपुर नगर, मथुरा, महाराजगंज, देवरिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया पत्र की एक प्रति सम्बन्धित अधिकारी को प्राप्त कराते हुए, विकल्प पत्र कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति सहित अभियोजन निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(चन्द्र शेखर त्रिपाठी),  
अपर निदेशक अभियोजन,  
लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ।